मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.12518 /एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी./तक.–3/17/09 भोपाल दिनांक 24/09/09

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
  जिला – समस्त (मध्य प्रदेश)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं के निर्माण की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 18722/22/वि–7/एन.आर.ईजी./2007 दिनांक 05.12.2007।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों का कृपया अवलोकन करें। वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर है अतएव नदी–नालों में बहते हुये जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 22.09.2009 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कम वर्षा एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिये अभियान चलाये जाकर नदी–नालों में बहते हुये जल को रोकने के उपाय किये जाने के निर्देश दिये गये। अतएव उक्त निर्देशों के परिपालन में निम्न उपाय किये जावें :–

1. संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्मित स्टापडेम में कड़ी शटर/गेट लगाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार कड़ी शटर लगाये जाने की कार्यवाई तत्काल की जावे।
2. ऐसे स्टापडेम जहाँ गेट या कड़ी शटर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी को रोकने के लिये बोरी बंधान या अन्य स्थानीय उपाय किये जावें।
3. **सभी नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से मिट्टी अथवा बोल्डर के नाला बंधान, बोरी बंधान, रॉक फिल डेम, गेबियन बंधान, वानस्पतिक अवरोध आदि के कार्य कराये जावें। जिससे अधिक से अधिक मात्रा में बहते हुये पानी को रोका जा सके।**

उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रदेश में सूखे की स्थिति से स्थाई तौर से निपटने हेतु दीर्घावधि उपाय के तहत प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष ऐसे 50 ग्रामों का चयन किया जावे, जिनमें पूर्व में यथासंभव वाटरशेड के कार्य नहीं कराये गये हों और न ही वर्तमान में चल रहे वाटरशेड कार्यक्रमों के तहत चयनित किया गया हो। मृदा एवं जल संरक्षण हेतु इन चयनित ग्रामों का समेकित माईक्रो प्लान बनाया जाना है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

उक्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास साप्ताहिक एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 दिवस के बाद की जावेगी। अतएव पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक जानकारी, फेक्स/ईमेल से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् करें।

संलग्न — 02 प्रपत्र।

(अजय तिर्की)
सचिव
म.प्र. शासन
पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठा. क्र.12519 /एन.आर.ईजी.एस.—एम.पी./तक.—3/17/09 भोपाल दिनांक २५/०१/०९

प्रतिलिपि :—

संभागायुक्त संभाग (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ।

सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

Kankane/Letter General-200

प्रपत्र–1

स्टापडेम में कड़ी शटर लगाये जाने की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा का प्रपत्र

जिले का नाम – ....

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	चिन्हांकित नदी–नालों की कुल संख्या	कुल निर्मित स्टाप्डेम की संख्या	स्टापडेम की संख्या जिनमें कड़ी शटर की व्यवस्था है	स्टाप्डेम की संख्या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि तक कड़ी शटर लगा दिये गये हैं	स्टापडेम की संख्या जिनमें कड़ी शटर न होने से पानी रोकने हेतु बोरी बंधान या अन्य उपाय किये गये हैं	स्टापडेम की संख्या जिनमें बहते हुये पानी को रोकने हेतु कोई व्यवस्था नहीं	विशेष (पानी रोकने हेतु कोई व्यव न किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत – ....

प्रपत्र-2

नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा

जिले का नाम – .... दिनांक – ....

क्रं	जनपद पंचायत का नाम	चिन्हांकित नदी–नालों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का विवरण												रिपोर्टिंग सप्ताह के अंत तक की पूर्णतः निर्मित संरचनाओं की प्रगति											
			मिट्टी अथवा बोल्डर के नाला बधान		रॉक फिल डेम		गेबियन बंधान		वानस्पतिक अवरोध		बोरी बंधान		अन्य संरचनाऐ		मिट्टी अथवा बोल्डर के नाला बधान		रॉक फिल डेम		गेबियन बंधान		वानस्पतिक अवरोध		बोरी बंधान		अन्य संरचनाऐ	
			संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल लागत (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)	संख्या	कुल व्यय (लाख रु.मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत – ....